

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :-श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.



मि0न0 -39/2019

अनवान : -

1. शिशपाल पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी नेठराना हाल रामपुरिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. जगदीश पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी नेठराना हाल न्यू ऋषिनगर हिसार हरियाणा।

:--वादीगण

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र सुखराम जाति कुम्हार निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. कृष्ण कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी नेठराना हाल न्यू ऋषिनगर हिसार हरियाणा।
3. लिछमण पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी नेठराना हाल न्यू ऋषिनगर हिसार हरियाणा।
4. बाला पत्नी रामेश्वर जाति कुम्हार निवासी नेठराना हाल न्यू ऋषिनगर हिसार हरियाणा।
5. विजेन्द्र पुत्र रामेश्वर जाति कुम्हार निवासी नेठराना हाल न्यू ऋषिनगर हिसार हरियाणा।
6. रेणु पुत्री रामेश्वर जाति कुम्हार निवासी नेठराना हाल न्यू ऋषिनगर हिसार हरियाणा।
7. हरकोरी पुत्री रामचन्द्र पत्नी हरपत जाति कुम्हार निवासी खचवाना तहसील भादरा।
8. गुडडी पुत्री रामचन्द्र पत्नी महेन्द्र जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
9. कलावती पुत्री रामचन्द्र पत्नी रखाराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
10. गोमती पुत्री रामचन्द्र पत्नी सतवीर जाति कुम्हार निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
11. नारायणी पुत्री रामचन्द्र पत्नी सुभाष जाति कुम्हार निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:--प्रतिवादीगण

**दावा बाबत घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम**

उपस्थिति :-श्री विनोद सिंगाठिया वकील -वादीगण

श्री कृष्ण भारी वकील- प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक:- 28/01/2020

सक्षेप मे दावा के तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक 9 एनटीआर के खाता नं. 62/61 के मु.न. 15 के किला नं. 17/1 की 0.126 हैक्टर, किला नं. 18 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 23 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 24/1 की 0.127 हैक्टर, कुल 0.759 हैक्टर जिसमें बारानी 0.739 हैक्टर, गै.मु. रास्ता 0.020 हैक्टर, इसी प्रकार चक नं. 2 बीआरडब्ल्यू के खाता नं. 91/83 के मु.न. 55 के किला नं. 12/1 की 0.190 हैक्टर, मु.न. 61 के किला नं. 5 की 0.253 हैक्टर, नहरी 0.240 हैक्टर, रास्ता 0.013 हैक्टर, किला नं. 16 की 0.253 हैक्टर, नहरी 0.240 हैक्टर, रास्ता 0.013 हैक्टर, किला नं. 24 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 25 की 0.

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

253 हैक्टर, नहरी 0.240 हैक्टर, रास्ता 0.013 हैक्टर, मु.न. 62 के किला नं. 14/1 की 0.240 हैक्टर, किला नं. 15, 16 की 0.506 हैक्टर, मु.न. 63 के किला नं. 11, 19, 20 की 0.759 हैक्टर किला नं. 12/1 की 0.051 हैक्टर, किला नं. 22/1 की 0.013 हैक्टर, खाते का कुल योग 2.771 हैक्टर नहरी 2.732 हैक्टर रास्ता 0.039 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। यही बिनाय दावा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तामील प्रतिवादीगण सं० 1 ता 11 तथा वादीगण ने अपना राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया तथा वकील वादी ने प्रतिवादी सं. 12 ने अपना जवाबदावा पेश किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 11 का राजीनामा पेश होने पर तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नहीं समझी गई। वकील वादीगण ने साक्ष्यवादी में वादी शिशपाल पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी नेठराना तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्य की ताहिद में वादी ने जमाबंदी चक 2 बीआरडब्ल्यू प्रदर्श-1, जमाबंदी चक 9 जेजीडब्ल्यू प्रदर्श-2, जमाबंदी भू-प्रबंध सम्वत 2029-32 प्रदर्श-3, जमाबंदी चक चक 2 बीआरडब्ल्यू प्रदर्श-4, व 5, जमाबंदी चक 9 एनटीआर सम्वत 2054 प्रदर्श-6, जमाबंदी चक 9 एनटीआर भू-प्रबंधन विभाग प्रदर्श-7 ता 8 एवं वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत नेठराना प्रदर्श-9 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील उभय पक्षकारान ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराया एवं मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण मे वादी ने रोही मौजा चक 9 एनटीआर के खाता नं. 62/61 के मु.न. 15 के किला नं. 17/1 की 0.126 हैक्टर, किला नं. 18 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 23 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 24/1 की 0.127 हैक्टर, कुल 0.759 हैक्टर जिसमें बाराणी 0.739 हैक्टर, गौ.मु. रास्ता 0.020 हैक्टर, इसी प्रकार चक नं. 2 बीआरडब्ल्यू के खाता नं. 91/83 के मु.न. 55 के किला नं. 12/1 की 0.190 हैक्टर, मु.न. 61 के किला नं. 5 की 0.253 हैक्टर, नहरी 0.240 हैक्टर, रास्ता 0.013 हैक्टर, किला नं. 16 की 0.253 हैक्टर, नहरी 0.240 हैक्टर, रास्ता 0.013 हैक्टर, किला नं. 24 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 25 की 0.253 हैक्टर, नहरी 0.240 हैक्टर, रास्ता 0.013 हैक्टर, मु.न. 62 के किला नं. 14/1 की 0.240 हैक्टर, किला नं. 15, 16 की 0.506 हैक्टर, मु.न. 63 के किला नं. 11, 19, 20 की 0.759 हैक्टर किला नं. 12/1 की 0.051 हैक्टर, किला नं. 22/1 की 0.013 हैक्टर, खाते का कुल योग 2.771 हैक्टर नहरी 2.732 हैक्टर रास्ता 0.039 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में वादीगण के नाम 1/5-1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम 1/5-1/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 4 ता 6 के नाम संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत किया है।

१९

शिशपाल आदि बनाम रामचन्द्र आदि

अतः वाद वादीगण साबित होने पर मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती रोही मौजा चक 9 एनटीआर के खाता नं. 62/61 के मु.न. 15 के किला नं. 17/1 की 0.126 हैक्टर, किला नं. 18 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 23 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 24/1 की 0.127 हैक्टर, कुल 0.759 हैक्टर जिसमें बारानी 0.739 हैक्टर, गै.मु. रास्ता 0.020 हैक्टर, इसी प्रकार चक नं. 2 बीआरडब्ल्यू के खाता नं. 91/83 के मु.न. 55 के किला नं. 12/1 की 0.190 हैक्टर, मु.न. 61 के किला नं. 5 की 0.253 हैक्टर, नहरी 0.240 हैक्टर, रास्ता 0.013 हैक्टर, किला नं. 16 की 0.253 हैक्टर, नहरी 0.240 हैक्टर, रास्ता 0.013 हैक्टर, किला नं. 24 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 25 की 0.253 हैक्टर, नहरी 0.240 हैक्टर, रास्ता 0.013 हैक्टर, मु.न. 62 के किला नं. 14/1 की 0.240 हैक्टर, किला नं. 15, 16 की 0.506 हैक्टर, मु.न. 63 के किला नं. 11, 19, 20 की 0.759 हैक्टर किला नं. 12/1 की 0.051 हैक्टर, किला नं. 22/1 की 0.013 हैक्टर, खाते का कुल योग 2.771 हैक्टर नहरी 2.732 हैक्टर रास्ता 0.039 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में वादीगण के नाम 1/5-1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम 1/5-1/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 4 ता 6 के नाम संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं. 7 ता 11 के द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के पक्ष में हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में वादीगण के नाम 1/5-1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम 1/5-1/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 4 ता 6 के नाम संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादभूमि बैंक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकेश बारैठ)

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S

भादरा (जिला हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

भादरा जिला हनुमानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :-श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.



मि०न० -39/2019

अनवान : -

1. शिशपाल पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी नेठराना हाल रामपुरिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. जगदीश पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी नेठराना हाल न्यू ऋषिनगर हिसार हरियाणा।

:-वादीगण

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र सुखराम जाति कुम्हार निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. कृष्ण कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी नेठराना हाल न्यू ऋषिनगर हिसार हरियाणा।
3. लिछमण पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी नेठराना हाल न्यू ऋषिनगर हिसार हरियाणा।
4. बाला पत्नी रामेश्वर जाति कुम्हार निवासी नेठराना हाल न्यू ऋषिनगर हिसार हरियाणा।
5. विजेन्द्र पुत्र रामेश्वर जाति कुम्हार निवासी नेठराना हाल न्यू ऋषिनगर हिसार हरियाणा।
6. रेणु पुत्री रामेश्वर जाति कुम्हार निवासी नेठराना हाल न्यू ऋषिनगर हिसार हरियाणा।
7. हरकोरी पुत्री रामचन्द्र पत्नी हरपत जाति कुम्हार निवासी खचवाना तहसील भादरा।
8. गुड्डी पुत्री रामचन्द्र पत्नी महेन्द्र जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
9. कलावती पुत्री रामचन्द्र पत्नी रखाराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
10. गोमती पुत्री रामचन्द्र पत्नी सतवीर जाति कुम्हार निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा।
11. नारायणी पुत्री रामचन्द्र पत्नी सुभाष जाति कुम्हार निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

**दावा बाबत घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम**

आज यह वाद मुझ श्री मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष वकील वादीगण विनोद सिंगाहठया एवं वकील प्रतिवादीगण कृष्ण भारी की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साबित होने पर मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती रोही मौजा चक 9 एनटीआर के खाता नं. 62/61 के मु.न. 15 के किला नं. 17/1 की 0.126 हैक्टर, किला नं. 18 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 23 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 24/1 की 0.127 हैक्टर, कुल 0.759 हैक्टर जिसमें बारानी 0.739 हैक्टर, गै.मु. रास्ता 0.020 हैक्टर, इसी प्रकार चक नं. 2 बीआरडब्ल्यू के खाता नं. 91/83 के मु.न. 55 के किला नं. 12/1 की 0.190 हैक्टर, मु.न. 61 के किला नं. 5 की 0.253 हैक्टर, नहरी 0.240 हैक्टर, रास्ता 0.013 हैक्टर, किला नं. 16 की 0.253 हैक्टर, नहरी 0.240 हैक्टर, रास्ता 0.013 हैक्टर, किला नं. 24 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 25 की 0.253 हैक्टर, नहरी 0.240 हैक्टर, रास्ता 0.013 हैक्टर, मु.

✓

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

भादरा (जिला-हनुमानगढ)

शिशपाल आदि बनाम रामचन्द्र आदि

नं. 62 के किला नं. 14/1 की 0.240 हैक्टर, किला नं. 15, 16 की 0.506 हैक्टर, मु.न. 63 के किला नं. 11, 19, 20 की 0.759 हैक्टर किला नं. 12/1 की 0.051 हैक्टर, किला नं. 22/1 की 0.013 हैक्टर, खाते का कुल योग 2.771 हैक्टर नहरी 2.732 हैक्टर रास्ता 0.039 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में वादीगण के नाम 1/5-1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम 1/5-1/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 4 ता 6 के नाम संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदार काशतकार दर्ज किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं. 7 ता 11 के द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1, ता 6 के पक्ष में हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में वादीगण के नाम 1/5-1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम 1/5-1/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 4 ता 6 के नाम संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। वादभूमि बैक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/01/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(मुकेश बारेठ)

R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भद्रा जिला-हनुमानगढ़
भादरा, जिला हनुमानगढ़

